पाठ्य सामग्री — प्राचीन इतिहास

B.A. Part-I, (Hon's)

प्रथम पत्र

B.A.

चन्द्रगुप्त की जीवनी लिखें तथा उसके शासन प्रबंध का वर्णन करें?

1985-87

चन्द्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक योग्य, प्रतिभावान तथा सफल शासन प्रबंधक भी था। उसने अपनी विशाल साम्राज्य की व्यवस्था बड़ी निपुणता से की। इस सम्बंध में इतिहासकार वी० ए० स्मिथ का मत है :→ "चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था पूर्ण थी, इस प्रकार की शासन व्यवस्था अकबर की भी नहीं थी।"

चन्द्रगुप्त ने चाणक्य के नियमों के आधार पर ही अपनी शासन व्यवस्था विकसित की थी। इस सम्बंध में मेगास्थनीज की 'इण्डिका' और कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्रकाश डालते हैं, उसके शासन व्यवस्था पर डालते हैं :→

1. राजा की स्थिति :→ मौर्य सम्राट निरंकुश होते थे। वह सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का प्रधान होता था। साम्राज्य की सारी शक्तियाँ राजा के हाथों में रहती थी। वह समस्त प्रशासनिक शक्ति का स्रोत था। सारा शासन उनके आदेशों के अनुसार चलता था, परन्तु तात्पर्य यह नहीं कि वह निरंकुश था। प्रधान कर्मचारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा ही होता था। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि :→ " सम्राट स्वयं न्याय तथा युद्ध के कार्यों में भाग लेता था। राजा के तीन प्रमुख कर्तव्य होते थे—

(i) शासन सम्बंधी कार्य
(ii) न्याय सम्बंधी कार्य
(iii) सेना सम्बंधी कार्य

राजा शासन का प्रधान होने के कारण राज्य के मुख्य-मुख्य अधिकारियों तथा राजदूतों की नियुक्ति भिन्न अदालतों से आये मुकदमों की अपील भी सुनता था। इसके साथ-साथ वह जनता के अन्य प्रार्थनाओं को सुनता था। उसका निर्णय अन्तिम होता था। वह प्रधान सेना पति के रूप में कार्य करता था।

2. मंत्रि परिषद :→ " कौटिल्य ने लिखा है कि एक पहिये की गाड़ी नहीं चल सकती है। अतः राजा के लिए मंत्री परिषद होना आवश्यक था। अतः राजा ने अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रि परिषद का गठन किया था। मंत्रि परिषद में 12 से 20 मंत्रि रहते थे। इन मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। अतः वे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। सम्राट मंत्रियों को अपनी इच्छानुसार नियुक्ति करता था और हटाता भी था। मंत्रियों को 48000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। आमात्यों एवं राजकुमारों पर मंत्रि का नियंत्रण रहता था। मंत्रि परिषद में मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ अन्य मंत्रि भी रहते थे, जिनको 1200 पण वार्षिक वेतन मिलता था।

मंत्रि परिषद में प्रधान स्थान कौटिल्य को प्राप्त था। वह प्रधान तथा पुरोहित दोनों होता था। द्वितीय पद सन्निधाता का था, जो राजस्व मंत्रि कहा जाता था। तिसरा पद युवराज का था जो शासक बनने के पूर्व युवराज को प्रशासकीय अनुभव होने के लिए कोई विभाग सौंप दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कई अन्य मंत्रि थे।

3. आमात्य मंडल → मंत्रि परिषद के मंत्रि के अतिरिक्त अमात्यों का एक अलग वर्ग होता था। शासन के सुविधा के लिए केन्द्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था इनको तीर्थ कहते थे। इनके विभागाध्यक्ष को आमात्य कहा जाता था। वे मजिस्ट्रेटों का काम करते थे। इसमें कुछ हाट का, कुछ नगर का और कुछ सेना का प्रबंध किया करते थे। वे दण्ड और पुरस्कार भी दिया करते थे तथा कर वसूलने का उत्तरदायित्व भी उनपर ही था।

Scanned with CamScanner

4. प्रान्तीय शासन :—

इतने बड़े साम्राज्य की व्यवस्था केन्द्र से नहीं हो सकती थी। इसलिए चन्द्रगुप्त ने शासन की सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण शासन को प्रान्तों में विभाजित किया था। प्रत्येक प्रान्त में कई आहारों तथा विषयों में विभक्त थे। सम्भवतः 5 या 6 मुख्य प्रान्त चन्द्रगुप्त के समय रहे होंगे। प्रान्तों के शासक राजकुमार ही होते थे।

1 → पहला प्रान्त उत्तरापथ का था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और काश्मीर का शासन यहीं से होता था।

2 → दूसरा प्रान्त अवन्तिरूप था, जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी।

3 → तीसरा प्रान्त कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसाली थी।

4 → चौथा प्रान्त दक्षिणापथ था, जिसकी राजधानी ~~पाटलीपुत्र थी~~ सुवर्णगिरी थी।

5 → पाचवाँ प्रान्त प्रच्य कहलाता था, जिसकी राजधानी पाटलीपुत्र थी।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त के राजकुमार का वेतन 12 हजार पर्ण होता था।

5. नगर शासन :—

मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इण्डिका' में पाटलीपुत्र की नगर व्यवस्था का बहुत विशद वर्णन किया है। ऐसा अनुमान है कि ऐसी ही व्यवस्था अन्य नगरों में होगी। वह लिखता है कि नगर की शासन व्यवस्था के लिए तीन सदस्यों की समीति थी। भिन्न-२ कार्यों को करने के लिए ये सदस्य छः समितियों में विभक्त थे :—

(i) शिल्पकला समिति।
(ii) वैदेशिक समिति।
(iii) जनसंख्या समिति।
(iv) वाणिज्य व्यवस्था समिति।
(v) वस्तुनिरिक्षक समिति।
(vi) कर समिति।

6. ग्राम शासन :—

यह शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका प्रबंधक ग्रामीक करता था, जो अवैतनिक होता था। ग्राम का शासन ग्राम सभा द्वारा शासन में पूर्ण स्वतंत्रता थी। ग्राम सभा साधारण झगड़ो का निर्णय करती थी। तथा पुलों का निर्माण करवाती थी। यह सभा किसानों की दशा को उन्नत बनाये रखने का पुरा-२ ध्यान रखती थी।

7. कर :—

भूमिकर ही राज्य की आय का प्रमुख साधन था। भूमिपर राजा का ही स्वामित्व था। भूमि किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं मानी जाती थी। उपज का छठा भाग करके रूप में वसूल किया जाता था। इसको 'भाग' कहते थे। आपातकालिन समय में चौथा अंश एवं अकाल के समय छठा भाग के रूप में कर वसूला जाता था। सिंचाई का प्रबंध भी यही पदाधिकारी करता था। नगरों में जन्म-मरण कर, मकान कर, तथा बिक्री कर लगाये जाते थे। राज्य के बाहर आने जाने वाले माल पर कर लगाया जाता था। चुगी चौकियों की भी व्यवस्था थी और नदि घाटियों पर भी कर वसूला जाता था। शिल्पियों, व्यापारियों को लाइसेंस लेना पड़ता था। यह सभी कर राजपरिवार, धार्मिक कार्य, सेना, सरकारी पदाधिकारी के वेतन, भत्ते, दान आदि पर खर्च किया जाता था।

Scanned with CamScanner

8. सैन्य व्यवस्था : → चन्द्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त कराकर एक विशाल सम्राज्य की स्थापना करना चाहता था है, इस लिए उसके विशाल सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 30 हजार अश्वरोही, 6 लाख पैदल, 9 हजार हाथी, 8 हजार रथ थे। इस विशाल सेना के प्रबंध के लिए एक युद्ध परिषद बनायी गयी थी, जिसमें 30 सदस्य थे, जो 6 समितियों में विभक्त थे —
(1) नौ सेना समिति
(2) रसद समिति
(3) अश्वरोही समिति
(4) पैदल सेना समिति
(5) हस्ति सेना समिति
(6) रथ सेना समिति।

9. पुलिस व्यवस्था : → आन्तरिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की गयी थी। इनको दो भागों में बाँटा गया था — (i) प्रकट पुलिस (ii) गुप्तचर पुलिस। स्त्रियाँ भी गुप्तचर विभाग में काम करती थी।

10. न्याय व्यवस्था : → चन्द्रगुप्त का दण्ड विधान कठोर था इसका न्याय व्यवस्था उच्चकोटि की थी। सारे मुकदमों की अंतिम अपील उसके पास होती थी। उसके सम्राज्य में 'धर्मस्थीय' तथा 'कण्टकशोधन' दो प्रकार के न्यायालय थे। नगर और जिलों के लिए अलग-2 न्याय बने हुए थे। नगरों के न्यायधीश को 'व्यवहारिक महामात्र' कहा जाता था अपराधियों को कड़ी जाँच के बाद सजा दी जाती थी। दण्डों में अंगच्छेद, निर्वासन दण्ड, कारागार दण्ड, मृत्युदण्ड, सम्मिलित थे। नगद जुर्माना की भी व्यवस्था थी, जिसमें तीन भाग थे — प्रथम भाग में जुर्माना-16 पण, द्वितीय भाग में 500 पण, तृतीय भाग में 1000 पण। यही कारण है कि उसके समय अपराधियों की संख्या बहुत कम थी।

11. लोकहित कार्य : → चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए लोकहित विभाग की स्थापना की थी, क्योंकि चाणक्य ने लिखा है :— "राजा को प्रजा के हित के लिए अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। सुखी बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।"

उसने विभिन्न सड़कों का निर्माण किया, मुसाफिरों के लिए कुँए खुदवाए तथा सरायों का निर्माण करवाए। प्रजा को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों का निर्माण कराया, शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए प्रोहित विद्वानों और आचार्यों को आर्थिक सहयोग तथा अनुदान किया। राज्य की ओर से गरीबों तथा असहायों की सहायता का पूरा प्रबंध था।

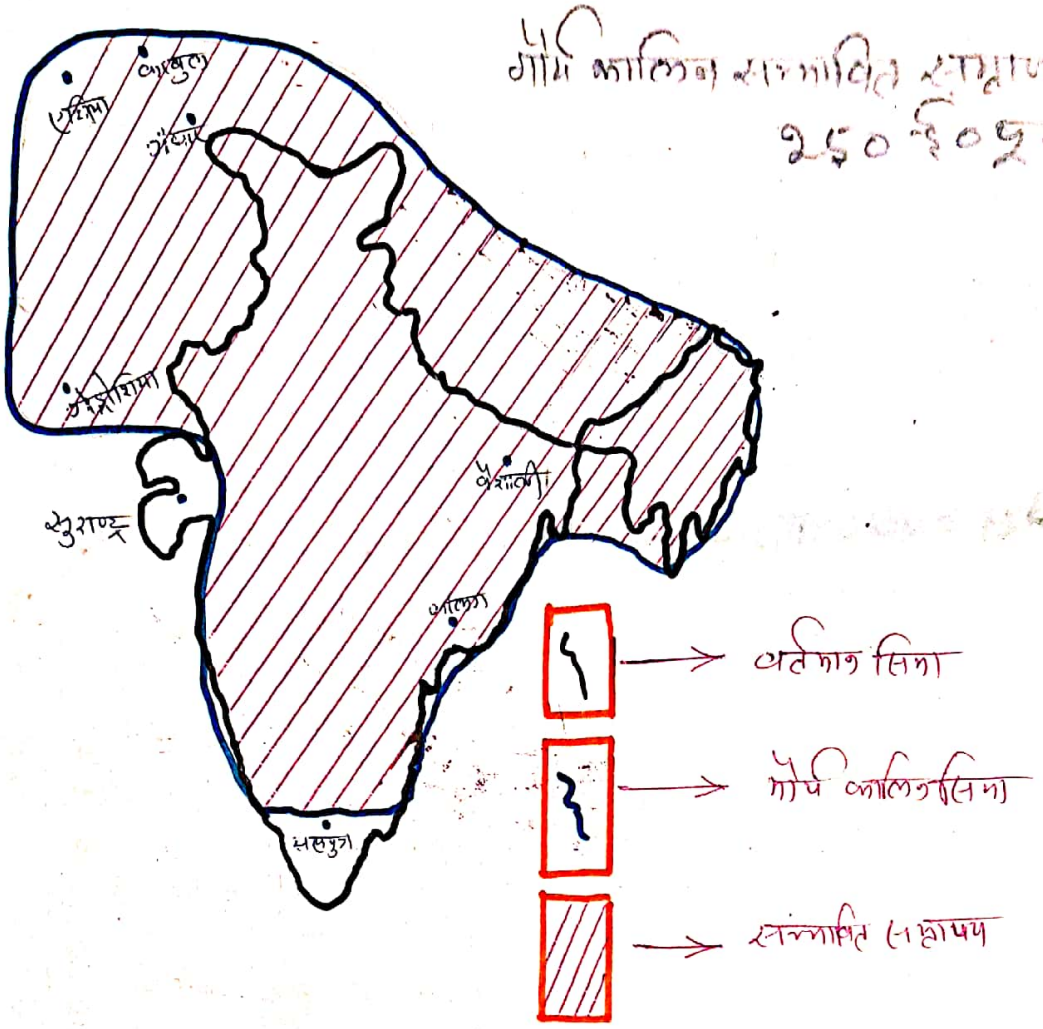

पन्द्रगुप्त सम्राज्य :